

राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/275(1)/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/19-20/10767 दिनांक 4/6/20  
7075

उपायुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर।

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत हैण्डपम्प निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।  
प्रसंग: आपका पत्रांक 7534-35 दिनांक 19.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 3815-21 दिनांक 05.02.2020 द्वारा हैण्डपम्प निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियुक्त किया गया।

प्रासंगिक पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित स्थानों पर हैण्डपम्प निर्माण की वित्तीय स्वीकृति कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि की जारी की जाती है।

जिला-उदयपुर कार्यकारी एजेन्सी-जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(राशि लाखों में)

क्र.स.	हैण्डपम्प निर्माण स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
				क्रमांक/दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6
1	हैण्डपम्प निर्माण तलाई, वेलवडी	जावद	सराडा	XEN/PHED/SALUMBER/ 102 /09.03.20	0.92
2	हैण्डपम्प निर्माण कमला/लक्ष्मण/हीरा के घर के पास अगरातफलां	बलुआ	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 107 /09.03.20	0.92
3	हैण्डपम्प निर्माण प्रेमचंद/थावरा जी मीणा के घर के पास नदीफलां	खरबर	सराडा	XEN/PHED/SALUMBER/ 104 /09.03.20	0.92
4	हैण्डपम्प निर्माण मंगला/कानजी के घर के पास दादफलां	पाल सराडा	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 106 /09.03.20	0.92
5	हैण्डपम्प निर्माण पिण्डु/भेराजी के घर के पास रायका मंडी	पाल सराडा	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 100 /09.03.20	0.92
6	हैण्डपम्प निर्माण भंवरा/कमजी मीणा के घर के पास चितरदरा उदातफलां	धनकावाडा	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 101 /09.03.20	0.92
7	हैण्डपम्प निर्माण बलियाखलां के पास कोलर	सरखण्ड का खेड	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 108 /09.03.20	0.92
8	हैण्डपम्प निर्माण वजी/राजेन्द्र के घर के पास राणियां	चन्दौडा	सेमारी	XEN/PHED/SALUMBER/ 105 /09.03.20	0.92
9	हैण्डपम्प निर्माण हरजा/मोगा मीणा के घर के पास खन्नीकाकर	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 97 /09.03.20	0.92
10	हैण्डपम्प निर्माण नग्गा/भेरा के घर के पास वाजुआफलां	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 97 /09.03.20	0.92
11	हैण्डपम्प निर्माण दशामाताजी पीपली के पास जेलावतफलां	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 99 /09.03.20	0.92
12	हैण्डपम्प निर्माण नारसिंग माताजी के मंदिर के पास गामडापाल	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 98 /09.03.20	0.92
13	हैण्डपम्प निर्माण गमानाजी भोपाजी के घर के पास जेलावतफलां	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 99 /09.03.20	0.92
14	हैण्डपम्प निर्माण खांखलदेव भैरव मंदिर के पास वालरा	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/ 98 /09.03.20	0.92

15	हैण्डपम्प निर्माण दौला/ओगडिया के घर के पास जेलावतफलां	गामडापाल	सलुम्बर	XEN/PHED/SALUMBER/99/09.03.20	0.92
16	हैण्डपम्प निर्माण वजी/हुरमा/नानजी के घर के पास पतुफलां बावडी	पालसराडा	सराडा	XEN/PHED/SALUMBER/103/09.03.20	0.92
योग					14.72

उपरोक्त कार्य पर राशि रू. 14.72 का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रू. 250.00 लाख मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

**शर्त:-**

1. स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावें।
2. निविदाए समय पर आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
4. तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावें।
5. योजना मे भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर ट्यूबवेल वैधन किया जावें। ट्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad @ rajasthan.gov.in में प्रेषित करें।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
8. हैण्डपम्प स्थान पर टी.ए.डी. की ग्रांट से निर्मित अंकित किया जावें।
9. सोकपिट की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि आवश्यक हो प्रथक से प्रस्ताव प्रेषित करे।

- sd.  
(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S  
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/275(1)/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/19-20/10767 दिनांक 4/6/20  
प्रतिलिपि - 1075

1. विशिष्ट सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सलुम्बर जिला उदयपुर।  
वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रू. 250.00 लाख मे से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को राशि रू. 14.72 लाख हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।
7. निदेशक, मोनटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in